फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी : श्रीमती शांताबाई — बनाम — विपक्षी : श्री प्रभुलाल

रस्म मुकदमा – 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया सहिता — पत्रावली संख्या : 15/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 05.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8, 11 उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 9 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8, 11 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 1, 7, 9, 10 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 7, 9, 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल प्रकरण संख्या 09/21 में दिनांक 14.06.2022 को की गई कार्यवाही को अपास्त कर प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से पाया की मूल प्रकरण संख्या 09/21 अनवान देवीलाल बनाम प्रभुलाल में दिनांक 14.06.2022 को अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अतः देरी की अवधि कण्डोन किया जाता हैं। प्रार्थी के कथनानुसार प्रकरण माननीय न्यायालय वल्लभनगर से माननीय न्यायालय भीण्डर में स्थानान्तरित होने के बाद पेशी की सूचना भिजवा दी जायेगी परन्तु प्रार्थी को पेशी की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी तथा प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता से कोई सम्पर्क नहीं किया जा सका जिससे दिनांक 14.06.2022 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज हो गया जिससे मूल प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8, 11 द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थीगण पेशी दिनांक 14.06.2022 को अनुपस्थित रहे जो प्रार्थीगण की लापरवाही का द्योतक हैं। प्रार्थी को प्रकरण के स्थानान्तरण की जानकारी थी। प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित होकर व अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपनी पेशी दिनांक की जानकारी प्राप्त कर सकता था। चूंकि प्रकरण में प्रार्थीगण का हित निहीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया सहिता का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया सहिता का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 09/21 अनवान देवीलाल बनाम प्रभुलाल में आदेश दिनांक 14.06.2022 को अपास्त किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:46:14 IST
Reason: SelfAttested